भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1457

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

एनबीएफसी का एनपीए

1457. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्तपोषण कंपनियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनबीएफसी के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनबीएफसी और आवास वित्तपोषण कंपनियां परिसम्पत्ति देनदारी असंतुलन के साथ ही वित्तपोषण की कमी का सामना कर रही हैं जिसके फलस्वरूप वित्तीय संकट पैदा हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एनबीएफसी को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क): 23 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकडों के अनुसार, 9643 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आरबीआई में पंजीकृत थीं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ब्यौरे सहित आरबीआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या को अनुबंध-1 में दर्शाया गया है। 24 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के आंकड़ों के अनुसार, 101 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को एनएचबी में पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत किए गए एचएफसी की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-2 में है।

(ख): भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विगत चार वित्तीय वर्ष के दौरान एनबीएफसी (जमा स्वीकार करने वाले और प्रणालीगत रूप से जमा नहीं स्वीकार करने वाले महत्वपूर्ण एनबीएफसी) की सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात निम्निानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	**सकल एनपीए अनुपात**
2015-16	3.9%
2016-17	6.1%

2017-18	5.3%
2018-19	6.6%

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि वह कुछ एनबीएफसी को पेश आ रही चलनिधि की समस्या की गहन निगरानी कर रहा है जिसका मुख्य कारण एनबीएफसी के आस्ति देयता असंतुलन और व्यापक चलनिधि स्थिति है। एनएचबी ने सूचित किया है कि सम्यक तत्परता के हिस्से के रूप में यह निरंतर 15 मुख्य एचएफएसी के चलनिधि स्थिति की निगरानी कर रहा है।

(घ): सरकार के हाल में किए गए किसी जांच के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि कंपनी रजिस्ट्रार, केरल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(1) के तहत एक एनबीएफसी की जांच कराई थी जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों की गैर-अनुपालन पायी गयी थी लेकिन डिबेंचर के पुनर्भुगतान/मोचन में चूक संबंधी कोई सूचना नहीं पायी गयी थी। मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को एक अवसंरचना संबंधी एनबीएफसी के संदर्भ में जांच करने का आदेश दिया गया है।

(ड.): भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIख में निहित उपबंधों के तहत इसमें निहित शक्तियों के अनुसार एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। आरबीआई की सूचना के अनुसार, एनबीएफसी द्वारा सामना की जा रही चलनिधि की समस्या के समाधान के लिए अनेक उपाय किए गए थे। किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैः

(i) वित्तीय बाजारों में चलनिधि डालने, नियमित चलनिधि समायोजन सुविधा की नीलामी के अतिरिक्त मुक्त बाजार आपरेशन को संचालित किया गया था।

(ii) आरबीआई ने 31 मार्च, 2019 तक बैंकों को विशेष व्यवस्था की अनुमति दी है जिससे 19 अक्टूबर, 2018 के बाद एनबीएफसी और एचएफसी को दी गई उनके वृद्धिशील ऋण को चलनिधि कवरेज अनुपात के आकलन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि के रूप में माना जा सके।

(iii) 31 मार्च, 2019 तक एनबीएफसी, जो अवसंरचना को वित्त नहीं देता है, के लिए एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा को पूंजीगत निधियों के 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था।

(iv) दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को एनएचबी में पंजीकृत एचएफसी और आरबीआई में पंजीकृत जमा नहीं स्वीकार करने वाले प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी को आंशिक ऋण वृद्धि प्रदान करने की अनुमति दी थी।

(v) आरबीआई ने पात्र उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अवसंरचना के क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि आवश्यकता को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।

(vi) एनबीएफसी को अपने पात्र आस्तियों को प्रतिभूत/सुपुर्द करने के लिए प्रेरित करने हेतु, शुरु हुए एनबीएफसी के लिए न्यूनतम धारित पूंजी अवधि आवश्यकता को दिसम्बर, 2019 तक छूट दे दी है।

(vii) एनबीएफसी ने एमएसएमई ऋणों के पुनर्गठन को सक्षम बनाने के लिए विनियम में छूट प्रदान की थी।

(viii) 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन के स्तर को बढ़ाने के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है।

***

अनुबंध-1

आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या

क्षेत्रीय कार्यालय (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र यूटी) पर अधिकारिता)
अहमदाबाद (गुजरात, और सं. रा. क्षेत्र दमन और दीव, दादर और नगर हवेली)
बैंगलोर (कर्नाटक)
भोपाल (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़)
भुवनेश्वर (ओडिशा)
कोलकाता (सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सं.रा.क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
चंडीगढ़ (हिमाचल प्रदेश, पंजाब और सं. रा. क्षेत्र चंडीगढ़)
चेन्नई (तमिलनाडु और संघ राज्यक्षेत्र पुदुचेरी)
नई दिल्ली (हरियाणा और रा. रा. क्षेत्र दिल्ली)
गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)
हैदराबाद (आंध्रप्रदेश और तेलंगाना)
जयपुर (राजस्थान)
जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
कानपुर (उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड)
मुंबई (महाराष्ट्र और गोवा)
पटना (बिहार और झारखंड)
तिरुवनंतपुरम (केरल और सं.रा.क्षेत्र लक्षद्वीप)
कुल

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक

***

अनुबंध-2

एनएचबी के तहत पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**एचएफसी की संख्या**
आंध्रप्रदेश	1
दिल्ली	19
गुजरात	5
हरियाणा	3
कर्नाटक	5
केरल	2
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	40
मणिपुर	1
मिजोरम	1
राजस्थान	6
तमिलनाडु	15
पश्चिम बंगाल	2
कुल	**101**

स्रोतः राष्ट्रीय आवास बैंक

***